रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 2010/आषाढ़ 30, 1932

No. 403] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 2010/ASADHA 30, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 611(अ).—केन्द्र सरकार इसे लोकहित में आवश्यक एवं तात्कालिक प्रकृति का मानते हुए एतद्द्वारा पासपोर्ट (भारत में आगमन) नियमावली, 1950 के नियम 4 के उप-नियम (2) और उप-नियम (1) के खण्ड (i) और उसकी अन्य सभी सक्षमकारी शक्तियों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 28 जून, 1968 की सा.का.नि. 1265 के अतिक्रमण में, पहाड़ी जनजातियों के प्रत्येक सदस्य, जो या तो भारत का नागरिक है या म्यांमार संघ का नागरिक है और जो भारत-म्यांमार सीमा के किसी और सोलह किलोमीटर के क्षेत्र में सामान्यत: रह रहा है, को उक्त सीमा से भारत में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उक्त नियमावली के नियम 3 के प्रावधानों से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

(क) यदि वह भारत का नागरिक है :—

(i) जो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की दिनांक 28 जून, 1968 की अधिसूचना सं. एस आई/108/1/66 के अनुसरण में जारी किए गए परमिट के आधार पर म्यांमार गया/गई हो और उसके पास ऐसा परमिट हो जो पुन: आगमन के समय वैध एवं प्रभावी हो ।

(ii) अन्य किसी मामले में, यदि उसके पास भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा इस कार्य हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी परमिट हो (जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के प्रपत्र के अनुरूप हो और जो पुन: आगमन के समय वैध एवं प्रभावी हो) ।

(ख) यदि वह म्यांमार का नागरिक है तो उसके पास—

(i) म्यांमार में तत्समय प्रभावी किसी कानून के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त किसी प्राधिकारी द्वारा अथवा म्यांमार के किसी अन्य प्राधिकारी, जिसे म्यांमार सरकार उस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करे, द्वारा जारी परमिट अथवा परमिट जैसा कोई अन्य दस्तावेज हो, अथवा

(ii) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा जारी परमिट हो (जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के प्रपत्र के अनुरूप हो और जो पुन: आगमन के समय वैध एवं प्रभावी हो) किन्तु वह उस परमिट के आधार पर, भारत के उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा/करेगी जो ऊपर वर्णित सीमा से सोलह कि.मी. से परे हो ।

2. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख के एक माह पश्चात् प्रभावी होगी ।

अनुसूची

परमिट

(भारत सरकार गृह मंत्रालय की दिनांक 21-7-2010 की अधिसूचना सं. 25022/14/2007- आव्र. देखें)

1. नाम (पूरा)
2. पिता/पति का नाम
3. आयु/जन्म तिथि
4. जन्म स्थान
5. लिंग

परमिट धारक की फोटो

6. राष्ट्रीयता
7. स्थायी पता
8. जनजाति एवं व्यवसाय
9. पहचान चिन्ह
10. स्थान, जहां की यात्रा करने का इरादा है
11. यात्रा का उद्देश्य
12. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर ले जाई जाने वाली नकदी की राशि और सामान
13. मार्ग
    (क) आगमन के लिए
    (ख) वापसी के लिए
14. धारक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

यह परमिट जारी किए जाने की तारीख और समय से 24 घण्टे/48 घण्टे/72 घण्टे के लिए वैध है । (जो लागू न हो उसे काट दें)

दिनांक :.........................

(जारीकर्ता प्राधिकारी)

समय :.............................

सील

हस्ताक्षर

(स्पष्ट अक्षरों में नाम)

पदनाम

स्थान : ....

[फा. सं. 25022/14/2007-आव्र.]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

G.S.R. 611(E).—In pursuance of clause (i) of sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 4 of the Passport (Entry into India) Rules, 1950 and of all other powers thereto enabling and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 1265, dated the 28th June, 1968, the Central Government being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts from the provisions of rule 3 of the said rules, every member of the hill tribes, who is either a citizen of India or a citizen of the Union of Myanmar and who is ordinarily resident of any area within sixteen kilometers on either side of the India-Myanmar Border, entering India across the said border, subject to the following conditions, namely :—

(a) If he/she is a citizen of India,—

(i) who has departed to Myanmar on the basis of permit issued in accordance with the notification of the Government of India, in the Ministry of External Affairs No. SI/108/1/66, dated the 28th June, 1968 he/she shall be in possession of such permit which is valid and effective at the time of re-entry, and

(ii) in any other case in possession of a permit (which is in the form given in the Schedule thereto annexed and valid and effective at the time of re-entry) issued by the Government of India or the State Government or by such authority as the Government of India or the State Government may specify in this behalf.

(b) If he/she is a citizen of Union of Myanmar, he/she shall be in possession of—

(i) a permit or other like document issued by any authority empowered under the law for the time being in force in Myanmar, or by such other authority in Myanmar as the Government of Myanmar may specify for the purpose, or

(ii) a permit (which is in the form given in the Schedule hereto annexed and valid and effective at the time of re-rentry) issued by the Government of India or the State Government or by such authority in India as the Government of India or the State Government may specify for the purpose, and he/she shall not, on the basis of that permit move into area in India which is beyond sixteen kilometers from the aforesaid frontier.

2. This notification shall come into force one month after the date of its publication.

SCHEDULE

PERMIT

(See notification of Government of India, Ministry of Home Affairs, No. 25022/14/2007-Imm., dated 21st July, 2010)

Photograph of the permit holder

1. Name (in full)
2. Father's/husband's Name
3. Age/date of birth
4. Place of birth
5. Sex
6. Nationality
7. Permanent Address
8. Tribe and Occupation
9. Marks of identification
10. Places intended to be visited
11. Purpose of visit
12. The amount of cash and merchandise being carried across the international border
13. Route
    (a) for inward journey
    (b) for return journey
14. Signature of thumb impression of holder
    This permit is valid for 24 hours/48 hours/72 hours (strike off whichever is not applicable) from the date and time of issue.

Date.........................

(Issuing Authority)

Time.............................

Seal

Signature

Place.............................

(Name in block letters)

Designation

[F. No. 25022/14/2007-Imm.]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064